मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2017

विज्ञापन क्रमांक 03/2017/ 08.03.2017
शासन के विभिन्न विभाग, मध्य प्रदेश शासन

प्रारम्भिक परीक्षा तिथि
16.07.2017

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन
आवेदन करने की अंतिम तिथि
15.04.2017

महत्वपूर्ण

1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन हेतु **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2017** हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

(1) सहायक यंत्री (सिविल)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।
समतुल्य अर्हता:-
Associate Member of Instituition of Engineers (AMIE)

(2) सहायक यंत्री (यान्त्रिकी)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।
समतुल्य अर्हता:-
Associate Member of Instituition of Engineers (AMIE)

1- **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2017 (दोपहर 12:00 बजे) से 15.04.2017 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है ।**

2- **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 22.03.2017 से 17.04.2017 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।**

3- **ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा । मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों/ निगम मण्डल कर्मियों / स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को देय आयु सीमा में छूट अभ्यर्थियों को तभी देय होगी यदि वे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अथवा उसके पूर्व से साक्षात्कार दिवस तक सतत रूप से मध्यप्रदेश शासन की सेवा में हों । ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि साक्षात्कार दिवस के पूर्व त्यागपत्र/ नौकरी से हटाये जाने अथवा अन्य किसी कारण से वह मध्य प्रदेश शासन की सेवा में नहीं रहते है तो उन्हें शासकीय सेवकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।**

4- **इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 16.07.2017 को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दो सत्रों में (प्रात: 10.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा दोपहर पश्चात 3.30 बजे से 5.30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 15.07.2017 तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेगे।

5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यकता होने पर E-mail तथा SMS Alert प्रेषित किए जा सकेंगें। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।

6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2017** , के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागो द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

क्र.	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	OH	VH	HH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सहायक यंत्री (सिविल Civil)													
1	लोक निर्माण विभाग	21	7	8	6	42	7	2	3	2	2	0	1
2	लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3	1	1	1	6	1	0	0	0	1	0	0
		24	8	9	7	48	8	2	3	2	3	0	1
सहायक यंत्री (यांत्रिकी Mechanical)													
3	लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0

दो - पद का विवरण

(1) (अ) **पद का नाम** : **सहायक यंत्री (सिविल)**
Assistant Engineer (Civil)

(ब) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग**
मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग

(स) **अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।
समतुल्य अर्हता:-
Associate Member of Instituition of Engineers (AMIE)

(द) **कर्तव्य** : **मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग**
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क, पुल, भवन के निर्माण, संधारण, रूपांकन आदि।

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग
निर्धारित प्रावधानों एवं नियमों तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न पेयजल प्रदाय एवं जल-मल निकासी योजनाओं आदि के सर्वेक्षण, आकल्पन, रूपांकन, क्रियान्वयन तथा संचालन संधारण संबंधी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगें।

(2) (अ) **पद का नाम** : **सहायक यंत्री (यान्त्रिकी)**
Assistant Engineer (Mechanical)

(ब) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग**

(स) **अर्हता** : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।
समतुल्य अर्हता:-
Associate Member of Instituition of Engineers (AMIE)

(द) **कर्तव्य** : **मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग**
निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पेयजल प्रदाय एवं जलमल निकासी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विद्युत यान्त्रिकी कार्यों (नलकूप खनन सहित) यथा संरक्षण, आकल्पन, रूपांकन, क्रियान्वयन तथा संचालन, संधारण संबंधी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगें।

तीन पदों की श्रेणी एवं वेतनमान

(अ) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(ब) **पद स्थिति** : अस्थायी

(स) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।

चार अर्हता के संदर्भ में विशेष अनुदेश

उक्त पदों हेतु संबन्धित अभियांत्रिकी विषय की स्नातक परीक्षा के अंतिम सेमिस्टर में अध्ययनरत तथा अंतिम सेमिस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगें किन्तु ऐसे आवेदकों को राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकने वाले आवेदक मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें।

पांच नि:शक्तजन चिंहांकन के संदर्भ में जानकारी

उक्त पदों को नि:शक्तजन हेतु निम्नानुसार चिन्हांकित किया गया है :-

क्र.	**पद का नाम**	**विभाग का नाम**	**चिन्हांकित नि:शक्त श्रेणी**
1.	सहायक यंत्री (सिविल)	मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग	अस्थिबाधित, श्रवणबाधित
		मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	अस्थिबाधित, श्रवणबाधित
3.	सहायक यंत्री (यांत्रिकी)	मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	अस्थिबाधित

टीप:
(1) उक्त पदों हेतु चिन्हांकित श्रेणी के न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्त आवेदक आरक्षण तथा छूट के पात्र है।
(2) लोक निर्माण विभाग के पदों हेतु दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं है।

छ: (i) लोक निर्माण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत यदि शासन द्वारा सिविल या मैकेनिकल के पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। यदि शासन के अन्य विभागों द्वारा भी यदि उपरोक्त विषय के पदों हेतु मांगपत्र प्राप्त होता है तो नवीन सृजित पदों हेतु प्रथक से संशोधित विज्ञप्ति जारी की जायेगी। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगें तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगें जिन्होंने प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है।

शासन के किसी अन्य विभाग द्वारा यदि सहायक यंत्री विद्युत (इलेक्ट्रीकल) तथा सहायक यंत्री कृषि यांत्रिकी हेतु मांगपत्र प्राप्त होने पर संशोधित विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(ii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iii) **<u>किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।</u>**

(iv) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन को देय आरक्षण एवं आरक्षण तथा आयु सीमा की छूट एवं भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देय होगी । अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में मान्य किए जाएंगे। जो पद उक्त

वर्गों के लिए आरक्षित नहीं है उन पर इन वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में विचारित किए जायेंगें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ देय नहीं होंगें। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर में न आने के संदर्भ में परिशिष्ट-2 में यथा विनिर्दिष्ट अभिवचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(vi) सहायक यंत्री (यान्त्रिकी) का पद केवल अनारक्षित वर्ग हेतु विज्ञापित है। उक्त पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किया जाएगा तथा उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ देय नही होगा किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

सात आयु सीमा: **मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु :-**

21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु :-

21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आठ आयु संगणना तिथि 01.01.2018 होगी।

अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए **परिशिष्ट -1** देखें।

नौ **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

दस **महत्वपूर्ण :-** ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

ग्यारह **अधिवार्षिकी आयु :- 60 वर्ष**

बारह **चयन प्रक्रिया :-**

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा त्रिस्तरीय होगी इसके तीन स्तर निम्न लिखित अनुसार होंगें :-

(1) राज्य अभियांत्रिकी सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा - ऑनलाइन पद्धति द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगें। एक सामान्य अध्ययन तथा दूसरा संबन्धित अभियांत्रिकी विषय

(2) राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा- लिखित परीक्षा - संबन्धित अभियांत्रिकी विषय के 2 वर्णनात्मक प्रश्न-पत्र।

(3) साक्षात्कार

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 15 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा।

लिखित मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषण हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। अभिलेखों की सूक्ष्म जांच में जिन अभ्यर्थियों को पद हेतु अर्ह पाया जाएगा केवल उन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

साक्षात्कार हेतु अर्हताधारी आवेदकों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert द्वारा सूचना दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अर्ह आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी। डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के योग के गुणानुक्रम तथा जो पद एक से अधिक विभागों हेतु विज्ञापित है उनमें अभ्यर्थी द्वारा विभागो के संदर्भ मे प्रस्तुत अग्रमान्यता पत्रक के आधार पर होगा। प्रारम्भिक परीक्षा केवल छानबीन परीक्षा है अत: उसमें प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई भूमिका नहीं होगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया ज़ाएगा । **प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।**

केवल ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
   (अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   (आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।

समिति द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी तथा उसे आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम उत्तरकुंजी पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के लिए बनी अंतिम उत्तरकुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-4 देखें।

तेरह **ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :-** ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 16.07.2017 को दो सत्रों में (प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तथा दोपहर पश्चात 3:30 बजे से 5:30 बजे तक) निम्न शहरों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी:-

कोड	शहर	कोड	शहर
01	इंदौर	05	सागर
02	भोपाल	06	उज्जैन
03	ग्वालियर	07	सतना
04	जबलपुर	08	रीवा

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में सभी शहर केंद्र चुन सकते है। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाये। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग परीक्षा शहर केंद्र आवंटित कर सकता है तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में आवेदक परीक्षा तिथि के 07 दिवस पश्चात तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

चौदह **प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :-** ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **01.07.2017** से **15.07.2017** दिनांक तक **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेगे। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदकों को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।

पंद्रह **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ठ-2 का अवलोकन करें।

सोलह अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

सत्रह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ठ-1

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ठ-2

(iii) ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ठ-3

(iv) परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ठ-4

8/3/17
सचिव

परिशिष्ठ-1

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूट

(सभी छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किया जाएगा तथा उनके लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी)

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यक्ता, तलाक़शुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
विशेष :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(2) **मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/ अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल,परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओ में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगा।**

(3) नि:शक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। **सहायक यंत्री के पद हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31.03.2005 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्त आवेदक आरक्षण तथा छूट के पात्र है। पदवार नि:शक्तजन चिंहांकन के संदर्भ में विज्ञापन की कंडिका -पांच का अवलोकन करें।**

(4) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवा का योग हो) कम कराने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। (विभिन्न वर्गों के आवेदकों को कंडिका (1) में उल्लेखित छूट दी जाएगी)

स्पष्टीकरण :-

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(5) ऐसा अभ्यर्थी जो **"मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा-परिभाषित** भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूट मे से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 5) (दो) (1 से 2) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- राज्य अभियांत्रिकी सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mppsc.com
2. www.mppsc.nic.in
3. www.mppscdemo.in

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **22.03.2017** से **17.04.2017** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 1200 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 600 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 600 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। <u>विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।</u>

2- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 600/-	₹ 1200/-
मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा	

टीप: **आयोग को प्राप्त शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जाएगा तथा न ही किसी अन्य परीक्षा हेतु समायोजित किया जाएगा।**

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **<u>15.04.2017</u>** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- 0755-4019400
ई-मेल :- <u>mppsconline@gmail.com</u>

4- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-</u> यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
<u>निःशक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> यह प्रमाण-पत्र जिला चिकत्सा मण्डल द्वारा जारी होना चाहिए तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता प्रमाणित किया होना चाहिए । निःशक्तजन चिंहांकन हेतु विज्ञापन की कंडिका 5 देखें।

<u>जाति के प्रमाण-पत्र :-</u> अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे प्रमाण पत्र अन्य पिछडा वर्ग को देय छूटों हेतु मान्य नहीं होंगें।</u> अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------- आयोग के **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2017** के विज्ञापन क्रमांक 03/2017 दिनांक 08.03.2017 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै -------------पुत्र/पुत्री श्री--------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----------जिला -----------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै -------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- ---------------

अभ्यर्थि का आवेदन पत्र क्रमांक ---------

अनुक्रमांक ---------

हस्ताक्षर------------------

नाम--------------------

पता----------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन

में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हतायें:- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9- **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

- मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी दृष्टिबाधित नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. जिला चिकत्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code तथा अपने आधार कार्ड नंबर का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2700406

ई-मेल- mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा । इन सब कार्यों में समय लगता है अत: अभ्यर्थियों से उपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे । **परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 01 घण्टा पूर्व तक प्रवेश दिया जा सकेगा, इसके पश्चात देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा ।**

08 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यत: ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

09 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । यदि कोई अभ्यर्थी निम्न परिचय पत्रों में से एक भी मूल परिचय पत्र नहीं लाता है तो अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रहेगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

10 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

11 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

12 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

13 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

14 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

15 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

16 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

17 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीध्र कार्यवाही की जा सके ।

18 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

19 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा

हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

20 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

21 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

22 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

23 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

<u>परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया</u>

24 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

25 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

26 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

27 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

28 परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी प्रश्नपत्र से संबंधित अपने Objection सात दिवस की अवधि में अपना नाम, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर ऑनलाईन भेज सकेंगे। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । **प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।**

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा

परीक्षा योजना

(क) सेवा में सम्मिलित पद :– राज्य अभियांत्रिकी सेवा में सम्मिलित पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	संबंधित अभियांत्रिकी विषय
1	सहायक यंत्री (सिविल), लोक निर्माण विभाग	बी. ई. (सिविल)	Civil Engineering
2	सहायक यंत्री (सिविल), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
7	सहायक यंत्री (यांत्रिकी), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	बी. ई. (मेकेनिकल)	Mechanical Engineering

चयन के स्तर :– चयन के निम्नानुसार तीन स्तर होंगें :–

(अ) प्रारम्भिक परीक्षा –500 अंक (छानबीन परीक्षा)

(ब) मुख्य परीक्षा –600 अंक

(स) साक्षात्कार –75 अंक

(अ) प्रारम्भिक परीक्षा:–

प्रारम्भिक परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जायेगी. प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न–पत्र तथा अंक विवरण निम्नानुसार है:–

			अंक
प्रथम प्रश्न–पत्र	**सामान्य अभियोग्यता** (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक)		**200**
	खंड–अ	भारत का सामान्य अध्ययन, मध्यप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में	100
	खंड–ब	हिन्दी भाषा	50
	खंड–स	English Language	50
द्वितीय प्रश्न–पत्र	**संबंधित अभियांत्रिकी विषय** (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)		**300**
	ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा के कुल अंक		**500**

प्रश्न–पत्र योजना :

(1) दोनो प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगें । प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A, B, C, D) होंगें । अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा.

(2) प्रथम प्रश्न–पत्र सामान्य अभियोग्यता का होगा जिसमें दो खंड होगें । खंड (अ) "भारत का सामान्य अध्ययन, मध्यप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में" से 2–2 अंक के कुल 50 प्रश्न होंगें तथा खंड (ब)–1–

"हिन्दी भाषा" से 25 प्रश्न एवं (ब)–2– "English Language" से 25 प्रश्न 2–2 अंक के होंगें । इस प्रकार प्रथम प्रश्न–पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा उसका पूर्णांक 200 होगा ।

(3) द्वितीय प्रश्न–पत्र अभियांत्रिकी विषय का होगा जिसमें 3–3 अंकों के कुल 100 प्रश्न पूंछे जायेंगे । इस प्रकार इस प्रश्न–पत्र का पूर्णांक 300 होगा । अभियांत्रिकी विषय के प्रश्न–पत्र में मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अभियांत्रिकी विषयों के प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न–पत्र के पाठ्यक्रम से 50–50 प्रश्न पूछें जायेंगें.

(4) प्रत्येक प्रश्न–पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी । प्रथम प्रश्न–पत्र का खंड (अ) हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में होगा, खंड (ब)–1 केवल हिन्दी भाषा में तथा (ब)–2 केवल अंग्रेजी भाषा में होगा. संबंधित अभियांत्रिकी विषय का द्वितीय प्रश्न–पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा ।

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा के उत्तीर्णांक :

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग तथां नि:शक्त श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, उत्तीर्णांक में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा उन्हें ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंको के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के 15 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किये जायेंगे ।

(ब) मुख्य परीक्षाः–

प्रारम्भिक परीक्षा में सफ़ल आवेदकों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा. मुख्य परीक्षा में संबंधित अभियांत्रिकी विषय के पारम्परिक विवरणात्मक प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगें. प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा. इस प्रकार मुख्य परीक्षा का पूर्णांक 600 होगा.

मुख्य परीक्षा के उत्तीर्णांक :

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, उत्तीर्णांक में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा उन्हें मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंको के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषण हेतु सफ़ल घोषित किये जायेंगे । केवल वे अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किये जायेंगें जो अभिलेखों की सूक्षम जांच में अर्ह पाये जायेंगें.

(स) साक्षात्कारः–

साक्षात्कार 75 अंकों का होगा. साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है.

चयन विधिः–

अंतिम चयनफ़ल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम तथा जो पद एक से अधिक विभाग हेतु विज्ञापित है उनके सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत अग्रमान्यता–पत्रक (जिसमें अभ्यर्थी पद तथा विभाग के सन्दर्भ में अपनी अग्रमान्यता प्रस्तुत करेगा) के आधार पर घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा केवल एक छानबीन परीक्षा है अतः प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अन्तिम चयन में कोई भूमिका नहीं होगी.

पाठ्यक्रम

STATE ENGINEERING SERVICES

PRILIMINARY EXAMINATION

प्रथम प्रश्नपत्र

सामान्य अभियोग्यता

खंड – (अ) भारत का सामान्य अध्ययन, मध्यप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में

1. भूगोल

मध्यप्रदेश का सामान्य परिचय, क्षेत्र, भूस्वरूप एवं संरचना, भौतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र तथा जलवायु।

2. मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधन

1. खनिज संपदा
2. वन संपदा एवं वन जीवन
3. कृषि एवं पशुपालन : फसलों का क्षेत्रीय वितरण, कृषि का योजनाबद्ध विकास, हरित क्रांति, पशुधन का विकास।
4. जल संसाधन : सिंचाई का विकास एवं सिंचाई परियोजनाएँ।

3. मानव संसाधन

जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, शहरी एवं ग्रामीण जन संख्या, साक्षरता एवं श्रमशक्ति।

4. उर्जा संसाधन

इसमें परंपरागत एवं अपरंपरागत उर्जा के संसाधन तथा उनके मानवीय जीवन में उपयोग से संबंधित प्रश्न होंगे।

5. उद्योग

इसमें प्रदेश के उद्योगों के प्रकार एवं आकार तथा उनके राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे।

6. पर्यावरण

पर्यावरण एवं उनके संरक्षण, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा तथा इनका मानवीय जीवन की गुणवत्ता पर होने वाले प्रभावों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. योजनाएं एवं मूल्यांकन

इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अभी तक के विभिन्न पहलूओं, विभिन्न कार्यक्रमों जो शहरी एवं ग्रामीण विकास के सबंध में हो तथा आर्थिक योजनाओं के मूल्यांकन तथा देश के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश की सापेक्षित स्थिति से संबंधित प्रश्न होंगे।

8. मध्यप्रदेश की प्रशासनिक संरचना

इसमें मध्यप्रदेश की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे संभाग, जिला, तहसील एवं विकास खण्डों का आपसी संबंध एवं प्रशासनिक संरचना से संबंधित अभ्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करना होगा।

9. ग्रामीण एवं शहरी प्रशासनिक संरचना

पंचायती राज, नगर पालिका एवं नगर निगम की संरचना एवं प्रशासनिक ढ़ांचे से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न अभ्यार्थियों से पूछे जायेगें।

10. खेलकूद

विविध खेलकूद के लिये संगठन, प्रबंधन एवं सुविधाओं से संबंधित अभ्यार्थियों की जागरूकता का परीक्षण करना होगा। इसमें मध्यप्रदेश के राजकीय पुरस्कारों, व्यक्तित्वों एवं शासकीय तथा अशासकीय संगठनों के योगदान से संबंधित प्रश्न होंगे।

11. मध्यप्रदेश की संस्कृति , साहित्य, संगीत , नृत्य ,कला एवं इतिहास ,

1. संस्कृति

प्रकृति, प्रकार एवं मुख्य–मुख्य बातें तथा मानव जीवन पर उनके प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे।

2. साहित्य

1. **प्राचीन** – कालिदास , भर्तहरि, भवभूति व बाणभट्ट।
2. **मध्यकालीन** –केशव , पद्माकर , भूषण।
3. **आधुनिक** – पं. माखनलाल चतुर्वेदी , सुभद्राकुमारी चौहान, गजानन माधव "मुक्तिबोध", बालकृष्ण शर्मा "नवीन", भवनीप्रसाद मिश्र , हरिशंकर परसाई , शरद जोशी , मूल्लारामोजी ,डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन तथा नंद दुलारे बाजपेयी।
4. **लोक साहित्य** – मध्यप्रदेश की बोलियाँ।

3. संगीत एवं नृत्य परम्परा

1. **संगीत परम्परा** – तानसेन , उस्ताद अलाउदीन खाँ , उस्ताद हाफिज अली खाँ , पंडित किशनराव , शंकर पंडित , राजाभैया पूछवाले , उस्ताद अमीर खाँ , कुमार गंधर्व, महाराज चक्रधरसिंह, पंडित कार्तिकराम।
2. **नृत्य परम्परा** – लोक संगीत की प्रमुख शैलिया , प्रमुख लोक नृत्य।

4. कला

सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्नों में भित्ति चित्रकला , लोक चित्रकला , आधुनिक चित्रकला के घराने एवं प्रमुख चित्रकार शामिल होंगे। इसमें प्रमुख लोक कलाओं एवं अन्य विभिन्न रंगमंचो से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

5. प्रमुख अनुसूचित जनजाति

प्रमुख अनुसूचित जन जातियों के नाम , अभिलक्षण , अधिवास , मुख्य मेले एवं तीज त्यौहार तथा सांस्कृतिक संरचना से संबंधित सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें म.प्र. शासन के व्दारा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान से सबंधित कार्यक्रमों पर भी प्रश्न होंगे।

6. संस्कृति के क्षेत्र में म.प्र. शासन के कार्यक्रम

अभ्यार्थियों से साहित्यिक अकादमियों एवं संस्थानों से संबंधित सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे। संगीत तथा चित्रकला के विविध घराने से संबंधित तथा संस्कृति मेलों से संबंधित प्रश्न होंगे। साहित्य ,संगीत एवं ललितकलाओं में प्रमुख योगदान के लिये शासन व्दारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरूस्कारों से संबंधित प्रश्न होंगे।

7. पुरातात्विक विरासत

प्रमुख ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थानों से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे।

8. मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठमूमि

मध्यप्रदेश का गठन , मध्यप्रदेश के प्रमुख राजवंशों एवं शासकों पर प्रश्न होंगे। इसमें स्वतंत्रता आन्दोलन में मध्यप्रदेश के योगदान पर भी प्रश्न होंगे।

Section (A) General Introduction of Madhya Pradesh

1. Geography

General Introduction of Madhya Pradesh, area, topography and structure, physical and geographic areas and climate.

2. Natural Resources of Madhya Pradesh

Mineral Wealth.

Forest Wealth and Wild Life.

Agriculture and Live stock, Regional distribution of crops, planned development of Agriculture, Green Revolution, Development of Live stock.

Water Resources - Development of Irrigation and Irrigation projects.

3. Human Resources

Population, Population Density, Urban and Rural population, Literacy and Labours.

4. Energy Resources

Questions will attempt to assess the general awareness of condidates about the conventional and non-conventional sources of energy and their uses in human life.

5. Industries

Attempt will be made to assess the general awareness of candidates about the types and size of industries and their impact on state economy.

6. Environment

Questions will be related to environment and its protection, pollution, natural climates and their impact on quality of human life.

7. Planning and Evaluation

Attempt will be to assess the general awareness of candidates about different aspect of five year plans till date, various programmes of urban and rural development, economic planning and its evaluation and status of Madhya Pradesh in the context of Country.

8. Administrative Structure of Madhya Pradesh

Questions will be related to general knowledge of candidates about administrative units - Division, District, Tehsil and Development-Blocks; their relationship and administrative structure.

9. Rural and Urban Administrative Structure

Questions will be pertaining to the general knowledge of candidate about organization and administrative structure of Pachayati Raj, Municipality and Municipal corporation.

10. Games and Sports

Attempt will be made to assess the awareness of candidates related to organization, management and facilities for different games and sports. The questions will also be related to different State awards, and personalities and contribution of Government and non Government agencies.

11. Culture, Literature, Music, Dance, Arts and History of Madhya Pradesh

1. Culture

The questions will be related to nature, types their salient features and impact on human life.

2. Literature

(1) Ancient - Kalidas, Bharthari, Bhavbhuti, Vanabhatta.

(2) Medieval - Keshav, Padmakar, Bhushan.

(3) Modern - Pandit Makhanlal Chaturvedi, Subhadra Kumari Chauhan, Gajanan Madhav Muktibodh, Balkrishna Sharma "Navin", Bhavani Prasad Mishra, Harishankar Parsai, Sharad Joshi, Mulla Ramoozi, Shiv-Mangal Singh, Suman and Nanddulare Vajpai

(4) Folk Literature / Dialects of Madhya Pradesh. Isuri, Singaji..

3. Music & Dance Tradition

(1) **Music Tradition** - Tansen, Ustad Allauddin Khan, Ustad Hafiz Ali Khan, Pandit Krishna Rao, Shankar Pandit, Rajabhaiya Poonchwale, Ustad Amir Khan, Kumar Gandharva, Maharaj Chakradhar Singh Pandit Kartik Ram.

(2) **Dance tradition** - Major styles of folk music, major folk dances.

4. Arts

Questions of general nature will be related to characteristics of Rock painting, folk panting, modern painting school and important painters. It will also have questions related to major folk and other theatres.

5. Major Scheduled Tribes

It will assess the general awareness of candidates related to names, characteristics, habitats, major fairs and festivals and cultural structure of major scheduled tribes. It will also have questions related to different programmes of State Government for the upliftment of Scheduled Tribes.

6. Programmes of State Government in the field of Culture

The questions will attempt to assess general knowledge of the candidate related to literasy academics and institutions. The questions will also be related to different Music and Fine Arts Schools and Cultural festivals. There will be questions awards given by the state for the significant contribution in the filed of literature, music and fine arts.

7. Archaeological Heritage

The questions of general knowledge will be related to significance and characteristics of major historical, archaeological and tourist places.

8. Historical perspective of Madhya Pradesh

The questions will be related to creation of M.P. and important dynesties and rules of M.P., It will also have questions related to contribution of M.P. in freedom movement.

खण्ड (ब) हिन्दी भाषा

- व्याकरण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, कारक, आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

- वाक्य संरचना, वाक्य के प्रकार, वाक्यगत अशुद्धि, शब्दगत अशुद्धि एवं तत्सम, तद्‌भव से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

- पारिभाषिक शब्द (प्रशासनिक शब्द), विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, कहावतें, प्रारूप लेखन, संक्षेपण, आधारित प्रश्न होंगे।

- अपठित गद्यांश से संबंधित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

खण्ड (स) **English Language**

The syllabus for the examination General English will be as follows-
The objective type question paper will carry maximum 25 marks each question of one mark.

- Applied grammar containing topics like parts of speech vocabulary, Active Passive, Direct and indirect speech, Transformation of sentence.
- Sentence completion questions (fill in the blanks) These will be of the nature of multiple choice questions.
- Questions on reading comprehension (Based on an unseen passage each).

द्वितीय प्रश्नपत्र

अभियांत्रिकी विषय

अभियांत्रिकी विषय के प्रश्न-पत्र में मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम से 50-50 प्रश्न पूंछे जायेंगें .

MAIN EXAMINATION

CIVIL ENGINEERING (CODE NO. 01)

PAPER - I

1. Structural Analysis

Determinate and Indeterminate Structures, Degrees of Freedom. Static and Kinematic indeterminacy, Principle of Superposition, Virtual Work, Energy theorem, Deflection of Trusses, Redundant Frames.

Analysis of Determinate and Indeterminate Arches, their influence lines.

Rolling loads, influence lines for Determinate Beams and Pin-jointed Frames. Mullar Breslau's Principle and influence lines for Indeterminate Beams and Frames.

Slope Deflection, Moment Distribution and Kani's methods. Column Analogy, Energy Methods for analysis of indeterminate beams and frames. approximate methods for analysis of Rigid Frames.

Matrix Methods of analysis, Stiffness and Flexibility Matrices of Beams. Frames & Trusses, Elements of Plastic analysis.

2. Structral Design

(1) Steel Design

Factors of Safety and Load Factors.

Rivetted and Welded connections of Members, Design of Tension, Compression and Flexural members, built-up beams and Plate Girder Slab and Guesseted Bases for Columns, Design of Roof Trusses. Purling and Coverings, Structural Steel tubes and their connections Industrial and Multi-Storyed Buildings Water tank and supporting tower's design. Plastic Design of Continuous Beams & Frames.

(2) R.C. Design

Working Stress and Limit State methods for design of Rectangular, T and L Beams, Slabs and Columns.

Isolated and Combined footings, Raft Foundations.

Overhead, Resting on ground and Underground Water Tanks.

Design of Bunkers and Silos.

Methods and Systems of Prestressing, Anchorages. Losses in Prestress, Design of Prestressed Concrete Beams.

3 Construction Planning and Management

Detailed estimates, specifications, analysis and rates of various works in civil engineering .

Construction activity , work break down structures , scheduling through CPM and PERT analysis , cost optimization through network construction, Float times, Bar charts , Project control and super- vision , cost reduction measures,

Cost analysis and resource allocation ,

Fundamentals of engineering economics , methods of appraisal , present work, annual costs , benefit cost analysis, Types of tenders and contract conditions .

4. Environmenal Engineering

Water Demand – Per capita Demand, Population Estimation methods

Water Quality Criteria for various uses viz. Domestic & Non-Domestic, Irrigation effects & significance of important parameters and permissible concentration as per relevant standards.

Transmission of Water- relative merits & demerits of various pipes viz C.I. G.I. Mild Steel.

A.C. Pressure Pipes. Corrosion of Pipes-types & Methods of control System of distribution & layouts of distribution.

Unit Processes & Operations for Water Treatment viz, Objectives and Design criteria of Sedimentation, Coagulation, Flocculation, Chemical Sedimentation. Filtration (slow sand & rapid sand), Disinfection, Softening.

Quantity & Characterization of Domestic Sewage-significance of B.O.D., C.O.D., D.O. ,Solids. T.O.C. , N.O.D.

Effluent Standards, River Standards.

Sewage System-Design of Sewer & Storm Sewer, Sewage Pumps.

Design of Screens, Grit Chamber.

Design of Primary Sedimentation tank.

Design of Biological Treatment Units viz Trickling filters, Activated Sludge Treatment and Secondary Sedimentation tank.

Waste Stabilization Ponds- Aerobic, Anaerobic & Facultative Ponds, design criteria and principles.

Sludge Treatment- Digestion & Sludge Disposal.

Septic Tanks-design criteria & working

Self Purification of Streams- oxygen sag curve.

Types of Pollution-Sources & effects of various pollution viz., Water, Air, Land & Noise, Relevant standards.

Rural Sanitation, Solid Waste- collection & disposal.

CIVIL ENGINEERING (CODE NO. 01)
PAPER - II

1. Water Resources Engineering

Water Resources in the Globe, Available Fresh Water. Need for Optimum use of Available water, Schemes for Drinking, Irrigation, Hydro Power, Multipurpose Schemes.

Irrigation - Necessity, Scope, Benefits & Effects.

Methods & Systems of Irrigation, their efficiencies. Water Distribuion & Scheduling techniques.

Crop Water Requirements, Evapotranspiration, Consumptive Use, Duty, Delta, Base Period their relation, Crop Rotation, Quality of Irrigation Water.

Hydrology - Hydrological Cycle, Precipitation – Types, Measurement, Raingauge Network, Analysis of Precipitation Data, Dependability Analysis, Unit Hydrograph, Summation & Synthetic Hydrographs, Design Flood by UH & Frequency Studies.

Ground Water - Class & Availability of Soil Moisture. Aquifers- Confined & Unconfined. Open & Tube Wells, Radial Flow in Wells, Depuit's Theory. Darey's Law, Seepage Analysis using Flow Nets. Yield of Wells, determination.

Storage Scheme - Reservoir Planning, Capacity, Yield, Life. Gravity & Earthen Dams. Forces Acing, Modes of Failure, Stability Criteria, Design. Galleries. Shafts. Joints in Gravity Dams. Foundation Treatment.

Spillways, Types, Design of Ogee & Syphon Spillways. Energy Dissipating Devices, Design of Stilling Basins.

Diversion Schemes - Structures on Pervious Formations, Bligh's & Khosla's Theory, Hydraulic Jump, Design of Vertical Drop Weir & Barrage.

Distribution System - Canals – Classification, Layout, Alignment, Capacity, Design of Canals. Silt Theories, Canal Regulation Structures. Design of Head & Cross Regulators, Canal Falls, Cross Drainage Works, and Outlets, Escapes.

Water Logging - Causes, Effects, Remedial Measures, Losses in Canals, Canal Lining, Types. Advantages, Conjunctive use of Surface & Ground Water.

River Training - Objective & Methods, Concepts of Hydro Power Projects.

2. Transportation Engineering

Railways - Permanent Way, Sleepers, Rail Fastenings, Ballast, Points and Crossings, different types of Turn Outs.

Stations and Yards, Turn Tables, Signals and Interlocking, Level Crossing.

Maintenance of Track, Super-elevation, Creep of Rails, Ruling Gradients, Track Resistance. Tractive Efforts, Curve Resistance .

Highways & Airports - Principles of Highway Planning, Highway Alignments.

Geometrical design, Cross-section. Camber, Super-elevation. Horizontal and Vertical curves. Classification of Roads.

Design and Construction of Flexible and Rigid pavements for Highway and Airfields.

Evaluation of Pavement Failure and Strengthening, Drainage of Roads.

Traffic Engineering : Traffic Surveys, Highway Capacity, Intersections, Rotary Design Elements, Signs, Signals and Markings.

Selection of Airport Sites, Windrose Diagram & Runway Orientation. Runway and Taxiway Geometric and Lighting.

Bridge Engineering - Selection of Site, Design Data collection, Hydraulic Design, Scour Depth for Bridge Foundation, Economic Span.

Type of Road and Railway Bridges, Design Loads and Forces, Impact Factor, Indian Loading Standards.

Super Structure & Sub Structure, Abutments, Piers, Wing Walls, Return Approaches.

3. Geotechnical Engineering

Index Properties of Soil, Classification of Soils. Clay Minerals.

Capillary Water, Permeability, Factors Affecting Permeability, Lab and field methods. Permeability of stratified soil deposits.

Seepage Pressure, Quick Sand Condition, Flow Net, its properties & uses.

Stess distributioin in soils, Boussinesq's theory. Newmark's Chart.

Consolidation and Settlement : Terzaghi's theory, Consolidation test. Settlement computiation. Time Settlement cureve.

Compaction tests & their significance, factors affecting compaction.

Shear Strength Parameters, Shear Tests, Mohr Coulomb's failure theory, Skempton's Pore Pressure coefficients.

Earth Pressure at rest, Active and Passive Pressures, Rankine's and Coulomb's theory.

Bearing capacity, Terzaghi's analysis, factors affecting Bearing Capacity, Plate Load Test.

Stability of Slopes, Sweedish Slip Circle method and Bishop's simplified method. Stability Number.

Sub-surface exploration. Methods, sampling, SPT, DCPT and Static Cone Penetration Test, Electrical Resistivity and Seismic method.

Essential features of Foundation , types, design criteria, Rafts.

Pile Foundation, Types of Piles, Pile Capacity, Pile Load Test. Group Action. Static/Dynamic formulae.

Elements of Machine Foundation, Natural frequency, Amplification and Resonance.

Ground Improvement Techniques, Sand Drains, Soil Stabilization, Geotextiles.

MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO. 02)

PAPER - I

Note : Use of Design Data Book is permitted.

1. Engineering Mechanics and Mechanics of Solids

Free body Diagram and Equilibrium; Trusses and Frames; Stress and Strains in Two Dimension; Mohr's Construction; Beams - Bending Moment and Shear Force Diagram; Bending and Shear Stress Distribution; Torsion of Shafts; Thin and Thick Walled Pressure Vessels; Euler's Theory of Column. Leaf and Helical springs.

2. Theory of Machines

Displacement, Velocity and Acceleration of Plane Mechanisms (Maximum 6 Links), Kliens' Construction; Law of Gearing, Gear Tooth Profile, Epicyclic Gear Trains; Motion Analysis of Cam and Followers; Balancing of Rotating Masses, Reciprocating Masses – Hammer Blow, Tractive Effort and Swaying Couple; Power Transmission by Belt Drive; Analysis of Simple Band, Block, Band and Block Brakes; Dynamometers; Free Vibrating of Single Degree of Freedom Systems; Whirling of Shafts; Gyroscopic Stability of Shaft, Ship and Aeroplane.

3. Design of Machine Elements

Design Concepts; Theories of Failure; Design for Static and Dynamic Loading, Design of Bolted, Rivetted and Welded Joints; Design of Shaft and Coupling.

4. Production Engineering

Merchant's Force Analysis, Tool Life and Tool Wear; Cutting fluids, Machinability and Machining Economics; Principles of Non-Traditional Machining Processes – EDM, ECM, USM & Laser; Principles of Design of Jigs and Fixtures; Limits, Fits and Tolerances; Comparators ,Gauge Design; Measurement of Surface Roughness; Interferometry; Acceptance Test of Machine Tools.

5. Production Management

Production Planning and Control; Forecasting Models; Aggregate Production Planning; Material Requirement Planning; Inventory Control – ABC Analysis, EOQ Model; Linear Programming – Simplex Method, Transportation & Assignment Model; Simple Queuing Models; PERT & CPM; Quality Control in Manufacturing, Control Charts for Variables & Attributes.

MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO. 02)

PAPER - II

Note : Use of Steam Table and Psychometric Chart are permitted.

1. Thermodynamics

Steady Flow Energy Equation; Entropy and Irreversibility; Availability and Available Energy; Detailed Analysis of Thermodynamic Cycles and their Limitations.

2. Fluid Mechanics and Machines

Continuity, Momentum and Energy Equations; Flow net; Turbulent Flow through Pipes; Velocity Distribution in Laminar and Turbulent Flow; Dimensional Analysis; Boundary Layer on a Flat Plate; Adiabatic and Isontropic Flow of Compressible Fluids; Classification of Hydraulic Turbines and Pumps; Specific Speed; Impulse and Reaction Turbines; Velocity Diagrams.

3. Heat Transfer, Refrigeration and Air Conditioning

Critical Thickness of Insulation; Conduction through Walls and Pipes; Heat Transfer from Fins; Dimensionless Numbers; Free and Forced Convection; Heat Exchange by Radiation between black and Gray Surfaces; Electrical Analogy; Heat Exchanger Classification; Effectiveness; LMTD and NTU Methods; Fouling Factor.

Vapour Compression and Vapour Absorption Systems and their Cycle Analysis; Nomenclature, Properties and Characteristics of Important Refrigerants; Ozone Friendly Refrigerants; Human Comfort and ASHRAE Comfort Charts; Estimation of Air-Conditioning Loads.

4. Energy Conversion Systems

Theories of Combustion in Compression Ignition and Spark Ignition Engines; Abnormal Combustion; Carburetion and Fuel Injection; Emissions from Engine and their Control; Modern Trends in IC Engines; Classification of Steam Turbines, Specific Speed, Velocity Triangles; Open and Closed Cycle Gas Turbine Plants; Nuclear Power Plants; Renewable Energy Sources.

5. Computer Aided Engineering

Introduction to CAD, 2D and 3D Drawing Concepts; Computer Aided Manufacturing – NC and CNC Machines, Methods of Part Programming; Elements of Robotics and Automated Material Handling System; FMS and Expert System.